

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
अधिघोषणा


पटना, दिनांक-

संख्या ..... डी0 एल0 ए0 प0 चम्पा0 चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सौराहा, परगना- भझौवा, थाना-बगहा, जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्- ग्राम-सौराहा में सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपयुक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-सौराहा नं0 95 के भीतर कमोवेश 0 बीघा 2 कठ्ठा 18 धुर जो मानक माप से 0.04860 एकड़ के बराबर होता है एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या- 355, 354, 346, 358, 353 एवं 352 है, तथा इस भू खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है:-

- उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 352, 354 एवं 346।  
दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 358, 353 एवं 352।  
पूरव :- अंश खेसरा संख्या- 346, 352।  
पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या- 355 एवं 358।

यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 6 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धा के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में दखा जा सकता है।



बिहार राज्यपाल के आदेश स

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2884/डी0एल0ए0 प0 चम्पा0, पटना, दिनांक 12/12/2013  
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त 10 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव